न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाडा

बजरिये श्री सी.एल.शर्मा आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	124/2021
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	14.07.2021
प्रकरण निर्णय होने की दिनांक	05.08.2021

अनवान

1	बालू पि.श्रीराम कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	नानूराम पि.श्रीराम कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3.	शंकर पि.घीसू कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4.	पेमा पि.भागू कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5.	गोपाल पि.भागू कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6.	राजेश पि.देबी कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
7.	पूरण पि.देबी कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8.	मुकेश पि.हीरा कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
9.	प्रकाश पि.हीरा कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
10.	मदनी पत्नि हीरा कुमावत नि.प्रतापपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीगण

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

→ अप्रार्थी

उपस्थिति –अधिवक्ता प्रार्थीगण	श्री परमेश्वर व्यास
उपस्थितिः- अधिवक्ता अप्रार्थी	पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:21:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 [illegible]ट

निर्णयः

(1) प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा[illegible] अधिनियम 1956 प्रस्तुत [illegible]पतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण गिरधारी वल्द दीपा के वारिसान है।

(2) सरहद प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा में निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है जिनके साबिक खसरा नम्बर ७० रकबा १०)१ बिस्वा है –

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

गाव का नाम	संवत	आ.नं.	रकबा
प्रतापपुरा	2073-76	52	0.09
		53	0.18
		54	0.25
		55	0.12
		56	0.12
		57	0.36
		58	0.38
		59	0.11
		60	0.66
कुल		किता 9	रकबा 2.27

(3) उक्त साबिक आ.नं. ७० रकबा १०)१ मेवाड़ सेटलमेंट उदयपुर संवत 1884 में गिरधारी वल्द दीपा ½ व गंगाराम नन्दा पुत्र नानजी ½ कुमावत के नाम दर्ज है।

(4) उक्त आराजियात में गिरधारी वल्द दीपा का ½ हक हिस्सा होकर उनके देहान्त उपरान्त प्रार्थीगण उनके विधिक वारिसान की हैसियत से उक्त आराजियात पर काबिज होकर प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

(5) हाल राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का ½ हक हिस्से के बजाय ¼ हक हिस्सा ही दर्ज है। इस पर राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त की तो जानकारी में आया कि सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजियात में गिरधारी वल्द दीपा ½ गंगाराम नन्दा पुत्र नानजी ½ के बजाय नन्दा पुत्र नानजी के वारिसान माधू मोहन काना पि.सुरजमल बगतावर पि.नन्दा को प्रार्थीगण के पूर्वज श्रीराम पि.गिरधारी के साथ ½ के रूप में संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में ¼ दर्ज हो गया व गंगाराम पुत्र नानजी के वारिसान प्रताप हजारी गणेश रामचन्द्र पि.गंगाराम को ½ हक हिस्सा के रूप में दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने व अपने हक हिस्से ¼ के बजाय ½ हक हिस्सा सही कराने का अधिकारी है।

(6) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित हाल आराजियात किता 9 रकबा 2.27 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा ¼ के बजाय ½ तथा गंगाराम पुत्र नानजी के वारिसान का हिस्सा ½ के बजाय ¼ हक हिस्सा दर्ज कर दुरूस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

(7) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर से पैराकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया है।

(8) प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की इस्तगासा पर बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया और कथन [illegible] रेकार्ड में प्रार्थीगण का हिस्सा ½ के बजाय ¼ हक हिस्सा गलत [illegible] ½ हक हिस्सा दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:21:49 IST
Reason: SelfAttested

(9) बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। विवेचन किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि साबिक आ.नं. ७० रकबा १०)१ बिस्वा भूमि में मेवाड़ स्टेट उदयपुर संवत 1884 के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज गिरधारी वल्द दीपा ½ हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आ.नं.७० रकबा १०)१ बिस्वा

सहायक कलेक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

भूमि के हाल नम्बर उक्तानुसार कुल किता 9 रकबा 2.27 हैक्टर बने है जिनमें प्रार्थीगण का हिस्सा ½ के बजाय सहवन से हिस्सा ¼ दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है –

◂ क्रियात्मक आदेश ▸

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा ¼ के बजाय ½ हक हिस्सा व खातेदार गंगाराम पि.नानजी के वारिसान चौथू पुत्र प्रताप धन्ना पुत्र प्रताप,मांगू पुत्र प्रताप ,दिनेश पुत्र उगमा,पारसी पुत्री उगमा ,मूली पत्नि उगमा ,लक्ष्मी पुत्री उगमा ,सुनिता पुत्री उगमा ,लादू पुत्र हजारी ,हरदेव पुत्र हजारी ,गोपी पुत्र गणेश,तेजी पुत्री गणेश ,नारायण पुत्र गणेश भंवर पुत्र गणेश रामलाल पुत्र गणेश लाली पुत्री गणेश,नाथू पुत्र रामचन्द्र.नाथी पुत्री रामचन्द्र शान्तिलाल पुत्र रामचन्द्र ,ऐजी पत्नि धर्मीचन्द भंवरी पुत्री धर्मीचन्द सभी का संयुक्त तौर पर ½ हक हिस्से के बजाय ¼ हक हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है –

गांव का नाम	संवत	आ.नं.	रकबा
प्रतापपुरा	2073-76	52	0.09
		53	0.18
		54	0.25
		55	0.12
		56	0.12
		57	0.36
		58	0.38
		59	0.11
		60	0.66
कुल		किता 9	रकबा 2.27

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एंव दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021 / 60 दिनांक 13.8.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.08 13:22:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा